न्यायालयः— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2014 निगरानी

निग - 1660-III-14

श्री ... द्वारा आज दि. 2.6.14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

जुगुलकिशोर पुत्र नन्दकिशोर राठौर निवासी ग्राम नरवर कृषक ग्राम नारायणपुर तह. नरवर जिला शिवपुरी म.प्र.

——— प्रार्थी

विरूद्ध

1. परमालसिंह पुत्र रतनसिंह निवासी सिकन्दरपुर तह. नरवर जिला शिवपुरी म.प्र.

——— प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 न्यायालय तहसीलदार महो. तहसील नरवर जिला शिवपुरी के प्र. क. 24/अ—12/13—14 में पारित आदेश दिनांक 23.05.2014 के बिरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है।

1. यह कि, अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महो. के समक्ष भूमि सर्वे क. 756/1, रकवा 1.20 हें., 778/2, रकवा 0.07 हें. कुल किता 2 कुल रकवा 1.27 है. के सम्बंध में सीमाकंन आवेदन पत्र अनावेदक के द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसका प्रकरण कमांक 24/अ—12/13—14 पर दर्ज किया जाकर आवेदक को पक्षकार बनाये बिना आवेदक के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि जिसका सर्वे कंमांक 139, 140, 141, 142, 325, 326, को प्रतिप्रार्थी द्वारा गलत सीमाकंन किया जाकर आवेदक के भूमि सर्वे कं. 140 एवं 326 पर निर्मित प्रार्थी के पूर्वजो द्वारा पक्का मकान 12x30 वर्ग फीट को सीमांकन के समय आवेदक को बिना पक्षकार बनाये लगभग 5 बीघा भूमि कम हो जाने के कारण आवेदक प्रभावित पक्षकार है। परन्तु अनावेदक द्वारा बिना पक्षकार बनाये सुनवाई तथा पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान किये आदेश दिनांक 23.05.2014 से सीमाकंन आदेश गलत कर दिया गया है। उक्त आदेश से दुखित होकर निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 1660–तीन/2014 जिला –शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
9 – 6–2016	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0पी0 धाकड़ उपस्थित । उनके द्वारा तहसीलदार तहसील नरवर जिला–शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 24/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 23.05.14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की है । 2– प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदक परमाल सिंह ने विचारण न्यायालय के समक्ष भूमि सर्वे क्रमांक 756/1, रकवा 1.20 है0 778/2 रकवा 0.07 है0 कुल किता 2 रकवा 1.27 है0 के संबंध में सीमांकन आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 11.6.13 को राजस्व निरीक्षक को 15 दिवस में विधिवत सीमांकन की कार्यवाही करने का आदेश दिया । जिस पर से राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 31.05.14 को पंचनामा आदि की कार्यवाही कर स्थल सीमांकन किया गया । इसके विरूद्ध जुगलकिशोर द्वारा दिनांक 21.5.16 को ही एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सीमांकन की कार्यवाही रोकी जावे । लेकिन तहसीलदार की आदेश पत्रिका दिनांक 23.5.14 में पटवारी दल द्वारा सीमांकन रिर्पोट, पंचनामा रसीद प्रस्तुत कर दिया गया तथा सीमांकन की कार्यवाही हो चुकी है तथा आवेदक का आवेदन निरस्त किया गया । इसी आवेदन निरस्त के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । 3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि	

R 1660 -III/14 शिवपुरी

आवेदक ने बिना सूचना दिये सीमांकन कराया है । जबकि आवेदक पड़ोसी कास्तकार है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि आवेदक की 5 बीघा भूमि कम हो गई है जिसके कारण आवेदक का हित प्रभावित हुआ है ।

4– अनावेदक –2 शासन की ओर से श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव पैनल अधिवक्ता उपस्थित। अनावेदक –1 सूचना उपरांत अनुपस्थित उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5– उभयपक्ष अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन किया गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी निगरानी मेमों की पैरा–2 में उल्लेख किया गया है कि अनावेदक द्वारा चालान कब पेश किया गया । जबकि परमालसिंह द्वारा दिनांक 01.03.2013 को चालन पेश किया तथा पंचनामा पर जुगलकिशोर के हस्ताक्षर नहीं है ।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि तहसीलदार तहसील नरवर का आदेश विधि अनुकूल नहीं है। अतएव निगरानी स्वीकार की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख वापस हों । राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य

P.T.O